

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हू																																										
8 ¹ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश किया गया है कि राजस्व ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित खसरा नम्बर 59 रकबा 1.25 हैक्ठो सहखातेदारी की भूमि पर राजस्व रिकार्ड पर हिस्से अनुसार एवं उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि में अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि अपने अपने हिस्से के अनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया जाकर एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव (तकास्मा स्किम) तैयार की जावे तथा उक्त तकास्मा स्किम में वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता अंकन किया जावे। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक मू0अ0/2025/1974 दिनांक 26.03.2025 से तकास्मा स्किम भिजवायी गयी जिसके अनुसार :-</p> <p>1. रामजीलाल पुत्र प्रहलाद मीना सा०देह</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खसरा नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3233/3165</td> <td>0.3909 हैक्ठो</td> <td>बा० 2</td> </tr> <tr> <td>3231/3164/2</td> <td>0.0547 हैक्ठो</td> <td>बा० 2</td> </tr> <tr> <td>कुल किता 2</td> <td>कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. गुलाबचंद पुत्र मूलचंद मीना सा० सेलू हाल निवासी प्रेम मन्दिर कॉलोनी बजरिया सा०मा०</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खसरा नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3231/3164/1</td> <td>0.1733 हैक्ठो</td> <td>बा.2</td> </tr> <tr> <td>कुल किता 1</td> <td>0.1733 हैक्ठो</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रकरण में वकील वादी ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा स्कीम के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा तकास्मा स्कीम में कोई आपत्ती नहीं की है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा के अनुसार तकास्मा किया जाना स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मुई के खातेदार कमशः:-</p> <p>1. रामजीलाल पुत्र प्रहलाद मीना सा०देह</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खसरा नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3233/3165</td> <td>0.3909 हैक्ठो</td> <td>बा० 2</td> </tr> <tr> <td>3231/3164/2</td> <td>0.0547 हैक्ठो</td> <td>बा० 2</td> </tr> <tr> <td>कुल किता 2</td> <td>कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. गुलाबचंद पुत्र मूलचंद मीना सा० सेलू हाल निवासी प्रेम मन्दिर कॉलोनी बजरिया सा०मा०</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खसरा नम्बर</th> <th>रकबा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3231/3164/1</td> <td>0.1733 हैक्ठो</td> <td>बा.2</td> </tr> <tr> <td>कुल किता 1</td> <td>0.1733 हैक्ठो</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की भूमि पर मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों। निर्णय आज दिनांक 8/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	3233/3165	0.3909 हैक्ठो	बा० 2	3231/3164/2	0.0547 हैक्ठो	बा० 2	कुल किता 2	कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	3231/3164/1	0.1733 हैक्ठो	बा.2	कुल किता 1	0.1733 हैक्ठो		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	3233/3165	0.3909 हैक्ठो	बा० 2	3231/3164/2	0.0547 हैक्ठो	बा० 2	कुल किता 2	कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	3231/3164/1	0.1733 हैक्ठो	बा.2	कुल किता 1	0.1733 हैक्ठो		
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म																																										
3233/3165	0.3909 हैक्ठो	बा० 2																																										
3231/3164/2	0.0547 हैक्ठो	बा० 2																																										
कुल किता 2	कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो																																											
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म																																										
3231/3164/1	0.1733 हैक्ठो	बा.2																																										
कुल किता 1	0.1733 हैक्ठो																																											
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म																																										
3233/3165	0.3909 हैक्ठो	बा० 2																																										
3231/3164/2	0.0547 हैक्ठो	बा० 2																																										
कुल किता 2	कुल रकबा 0.4456 हैक्ठो																																											
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म																																										
3231/3164/1	0.1733 हैक्ठो	बा.2																																										
कुल किता 1	0.1733 हैक्ठो																																											



मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान

सवाई माधोपुर

1. रामजीलाल उर्फ रामलाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीना निवासी मुई का टापरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. गुलाब चन्द पुत्र श्री मूलचंद जाति मीना निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार सवाई माधोपुर

नम्बर मुकदमा

36

सन्

2021

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

वादी की ओर से श्री भोलाशंकर शर्मा एड० और प्रतिवादी की ओर से श्री पारसमल जैन एड०

की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख ..8.11.2026... को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मुई के खातेदार कमशः:-

1. रामजीलाल पुत्र प्रहलाद मीना सा० देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3233/3165	0.3909 हैक्ठ	बा० 2
3231/3164/2	0.0547 हैक्ठ	बा० 2
कुल किता 2	कुल रकबा 0.4456 हैक्ठ	

2. गुलाबचंद पुत्र मूलचंद मीना सा० सेलू हाल निवासी प्रेम मन्दिर कॉलोनी बजरिया सा० मा०

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3231/3164/1	0.1733 हैक्ठ	बा.2
कुल किता 1	0.1733 हैक्ठ	

का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की भूमि पर मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करें।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 8.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3 प्रदेशके लिए स्टाम्प रू० पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7 आदेशिका की तामील	03	00			
जोड़	07.00	00	जोड़	02.00	